

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, अछल्दा-औरैया ।
पत्रांक 909 / लेंखाकार- 14वे वित्त / टेन्डर / 2017.18 / दिनांक जुलाई 19 , 2017

अल्प कालीन निविदा

विकास खण्ड अछल्दा के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में 14 वे वित्त योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड कार्यालय में सोलर प्लान्ट स्थापना किया जाना है । अतः फर्मस / बिक्रेताओ / सप्लायर्स से सामग्री आपूर्ति व स्थापना कार्य हेतु अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 31.07.2017 को अपरान्ह 2.00 वजे तक निविदा/टेण्डर आमंत्रित किये जाते हैं, जो उसी दिन 3.30 बजे अपरान्ह में विकास खण्ड कार्यालय अछल्दा में गठित निविदा समिति के द्वारा उपस्थिति निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

निविदा प्रपत्र दिनांक 20.07.2017 से 31.07.2017 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.30 बजे से 2.30 बजे तक खण्ड विकास अधिकारी अछल्दा कार्यालय से निशुल्क प्राप्त किये जा सकते है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	विशिष्टियां -भार
1	विकास खण्ड अछल्दा कार्यालय में सोलर प्लान्ट स्थापना कार्य	न्यूनतम 4 किलोवाट

- 1- सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी। सबसे कम दरो वाली फर्म का निविदा/टेण्डर स्वीकृत किया जायेगा।
- 2-आपूर्तिकर्ता निविदा डालने से पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण करलें ,सामग्री आपूर्ति कार्य स्थल पर ही स्वीकार होगी।
- 3-प्रत्येक सामग्री पूर्ण दी जाने वाली दरों के अतिरिक्त कोई भी व्यय अथवा चार्ज देय नहीं होगा।
- 4-कुल अनुमानित धनराशि का दो प्रतिशत जमानत धनराशि का बैंक द्वारा अल्प अवधि जमा रसीद (एफ.डी.आर.) ,(जो खण्ड विकास अधिकारी अछल्दा के पक्ष में बन्धक हो), देनी होगी।
- 5-आपूर्ति आदेश के अधिकतम 45 दिन के अन्दर सामग्री की आपूर्ति करनी होगी अन्यथा की स्थिति में समझा जायेगा कि निविदा दाता को आपूर्ति नहीं करनी है, और जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 6-अद्योहस्ताक्षरी को किसी भी टेण्डर को बिना कारण बताये रद्द किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 7-सोलर प्लान्ट का स्पेशीफिकेशन कार्यालय में देखा जा सकता है ।

(जी०पी०गौतम)
खण्ड विकास अधिकारी
अछल्दा-औरैया।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ सेवा में प्रेषित:-

1. नोटिस बोर्ड पर चर्चा हेतु।
2. प्रतिनिधि हिन्दुस्तान, दैनिक समाचार पत्र अछल्दा ।
3. प्रमुख, क्षेत्र पंचायत अछल्दा ।
4. जिला विज्ञान अधिकारी , एनआईसी औरैया को इस आशय से कि वह जनपद औरैया के ई-टेण्डर बेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।
5. जिला पंचायत राज अधिकारी औरैया।
6. 'परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण औरैया।
7. जिला विकास अधिकारी औरैया।
8. मुख्य विकास अधिकारी महोदय औरैया।
8. जिलाधिकारी महोदय, औरैया।

(जी०पी०गौतम)
खण्ड विकास अधिकारी
अछल्दा-औरैया।